88

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 763–तीन/2008 निगरानी – विरूद्व आदेश दिनांक 4–6–2008 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 1448/2006–07 निगरानी

1– रामकृपाल
2– मोहनलाल दोनों पुत्रगण रामस्वरूप
3– श्रीमती ज्योति पत्नि स्व.जानकीप्रसाद
सभी ग्राम मुकुन्दपुर तहसील अमरपाटन
जिला सतना मध्य प्रदेश ——आवेदकगण

विरूद्व

हरिहरकृपाल पुत्र रामरगीले ब्राहमण
निवासी ग्राम मुकुन्दपुर तहसील अमरपाटन
जिला सतना मध्य प्रदेश ———अनावेदकगंण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)

(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आजज दिनांक 7– 08–2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 1448/2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 4-6-2008 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम धोवहट की भूमि कुल किता 22

कुल रकबा 11-03 के बटवारे का आवेदन आने पर नायव तहसीलदार वृत्त ताला ने प्रकरण कमांक 32 अ 27/2006-07 पॅजीबद्ध किया तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 10-4-2006 से बटवारा कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन ने प्रकरण कमांक 109/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-8-2007 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 1448/2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 4-6-2008 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को के कम में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन ने आदेश दिनांक 17-8-2007 से अपील इस आधार पर निरस्त की है क्योंकि बटवारे के दौरान सभी पक्षकार उपस्थित रहे हैं तथा बटवारा पुल्ली (फर्द) पर सभी पक्षकारों के सहमति के हस्ताक्षर है एंव पुल्ली पर ग्रामीणेां के साथ सरपंच ग्राम पंचायत के भी हस्ताक्षर हैं जिसके कारण पटवारी व्दारा तैयार की गई पुल्ली पर संदेह करना उचित नहीं है। नायव तहसीलदार वृत्त ताला ने प्रकरण कमांक 32 अ-27/2006-07 में सभी पक्षकारों को सुना है एंव सहमति के आधार पर

आदेश दिनांक 10-4-2006 पारित कर समान बटवारा किया है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन ने आदेश दिनांक 17-8-2007 पारित करते समय एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनॉक 4-6-2008 पारित करते समय नायव तहसीलदार के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के निष्कर्ष समरूप हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी सारहीन है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 1448/2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 4-6-2008 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर